(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(28)/LA-2007/ lclaw/103-113 Dated the 15th September, 2008

NOTIFICATION

F.14(28)/LA-2007/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 30th August, 2008 and is hereby published for general information:-

"The Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Act, 2008
(Delhi Act 6 of 2008)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 31st March, 2008)

[30th August, 2008]

An Act further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of section 1.** - In the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 1, in sub-section (2), for the words "Union Territory of Delhi", the words "National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

3. **Amendment of section 2.** - In the principal Act, in section 2, -
(i) in clause (d), for the words "Union territory of Delhi", the words "National Capital Territory of Delhi" shall be substituted;
(ii) in clause (e), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted;

(iii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(gg) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;";

(iv) in clause (m), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

4. **<u>Amendment of section 3.</u>** - In the principal Act, in section 3, in sub-section (1), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

5. **<u>Amendment of section 13.</u>** - In the principal Act, in section 13, in sub- section (1), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

6. **<u>Amendment of section 16.</u>** - In the principal Act, in section 16, -

(i) in sub-section (5), for the words "one year but shall be eligible for re- election for one more term only" occurring at the end , the words "two years but shall be eligible for re-election for the subsequent term also:" shall be substituted;

(ii) in sub-section (6), for the words "or any subsequent annual election", the words "or the subsequent biennial election" shall be substituted.

7. **<u>Amendment of section 31</u>**. - In the principal Act, in section 31, for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

8. **<u>Amendment of section 39</u>**. - In the principal Act, in section 39, for the word "Administrator" wherever it occurs, the words "Lieutenant Governor" shall be substituted. "

DVS

(Savita Rao)
Joint Secretary(Law)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, प्लेयर बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली–2.

संoफाo 14/28/एल.ए.–2007/Lclaw/103-113 दिनांक : 15th सितम्बर, 2008

अधिसूचना

संoफाo 14/28/एल.ए.–2007/ – भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 30 अगस्त, 2008 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

"दिल्ली सिख गुरूद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2008।
(2008 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2008 को यथापारित)

(30 अगस्त, 2008)

दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ** .– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली सिख गुरूद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह तत्काल से प्रभावी होगा।

2. **धारा 1 का संशोधन** .– दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में "संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शब्द रखे जायेंगे।

3. **धारा 2 का संशोधन** .– मूल अधिनियम की धारा 2 में –

(i) खंड (घ) में " संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शब्द रखे जायेंगे;

(ii) खंड (ङ) में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जायेगा;

(iii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(छछ) "उपराज्यपाल" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल जिसे अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत यथा पदानामित किया गया है;";

(iv) खंड (ड) में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जाएगा।

4. **धारा 3 का संशोधन .**– मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जाएगा।

5. **धारा 13 का संशोधन .**–मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जाएगा।

6. **धारा 16 का संशोधन .**–मूल अधिनियम की धारा 16 में ––––

(i) उपधारा (5) में "एक वर्ष परन्तु केवल एक और कार्यावधि के लिये पुनः चुनाव के लिये पात्र होगा" अंत में आने वाले शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष परन्तु बाद की कार्यावधि के लिये पुनः चुनाव के लिये भी पात्र होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) में "या कोई परवर्ती वार्षिक चुनाव" शब्दों के स्थान पर "या परवर्ती द्विवर्षीय चुनाव" शब्द रखे जाएंगे।

7. **धारा 31 का संशोधन .**– मूल अधिनियम की धारा 31 में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जाएगा।

8. **धारा 39 का संशोधन .**– मूल अधिनियम की धारा 39 में "प्रशासक" शब्द के स्थान पर "उपराज्यपाल" शब्द रखा जाएगा।"

सविता राव

(सविता राव)
संयुक्त सचिव (विधि)